

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-ग्रुप-2) विभाग

सं. एफ 5(2)डीओपी/ए-11/2011

जयपुर, दिनांक: 6.8.2024

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक और राजस्थान पुलिस अधिनियम 2007 (2007 का अधिनियम सं. 14) की धारा 71 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान सिविल सेवा (भ्रष्टाचार निरोधक व्यूरो में व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए विशेष चयन और सेवा की विशेष शर्त) नियम, 2011 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान सिविल सेवा (भ्रष्टाचार निरोधक व्यूरो में व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए विशेष चयन और सेवा की विशेष शर्त) (संशोधन) नियम, 2024 है।

(2) ये 01.01.2017 से प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे।

2. अनुसूची-I का संशोधन.- राजस्थान सिविल सेवा (भ्रष्टाचार निरोधक व्यूरो में व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए विशेष चयन और सेवा की विशेष शर्त) नियम, 2011 से संलग्न अनुसूची-II में विद्यमान शर्त 1 और 2 और उनकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“1 वेतनमान.- अनुसूची-I में उल्लिखित पद पर नियुक्त होने पर अधिकारी/पदधारी वही वेतन आहरित करेगा/करेगी जो वह नियुक्त (अधिष्ठायी या स्थानापन्न हैसियत में) के ठीक पूर्व विद्यमान पद के लिए विहित राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 के अधीन वेतन मैट्रिक्स में के वेतन लेवल में आहरित कर रहा था/रही थी। वेतनवृद्धि की अंगली तारीख अपरिवर्तित रहेगी।

2 विशेष भूत्ता.- अनुसूची-I के स्तंभ 2 में उल्लिखित पदों पर नियुक्त किये गये, अखिल भारतीय सेवाओं को छोड़कर, समस्त अधिकारियों को व्यूरो में उनकी सेवावधि के दौरान उनके अधिष्ठायी पद पर, राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन)

6W3

नियम, 2017 के अधीन वेतन मैट्रिक्स में के वेतन लेवल में आहरित मूल वेतन के 12% की दर से विशेष भत्ता संदर्भ संदर्भ किया जायेगा।”

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

(जगद्दि
संयुक्त शासन सचिव।

1/2024